न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी
(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)
पीठासीन अधिकारी मुक्तानंद अग्रवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 05/2018 अपील सू.प्र.

उनवान

श्री लक्ष्मण बडेरा निवासी जटियों का नया मोहल्ला, बाड़मेर —अपीलार्थी **बनाम** लोक सूचना अधिकारी एवं उपश्रम आयुक्त एवं —प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :– अपीलार्थी अनुपस्थित
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधी

निर्णय

दिनांक : 12/02/2018

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं जिला कलक्टर भीलवाड़ा के नाम पर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा (6)(1) के अन्तर्गत आवेदन नवम्बर, 2017 में जरिये डाक प्राप्त हुआ । अपीलार्थी श्री लक्ष्मण बडेरा के आवेदन में अंकित सूचनाएं श्रम विभाग से सम्बन्धित होने के कारण उक्त आवेदन को सूचना प्रकोष्ठ के पत्रांक/2017/417 दिनांक 16. 11.2017 से उपश्रम आयुक्त, श्रम विभाग भीलवाड़ा को अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 6(3) में स्थानान्तरित किया गया। परन्तु उपश्रम आयुक्त, भीलवाड़ा के द्वारा नियत अवधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने पर अपीलार्थी के द्वारा जिला कलक्टर भीलवाड़ा के विरूद्ध प्रेषित अपील दिनांक 02.01.2018 को जरिये डाक प्राप्त हुई जिसमें अपीलार्थी ने निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल ऑर्डर नं0 11 एफ 709252 राशि 10.00 रू0 का दिनांक 1.11.2017 को एक आवेदन प्रेषित कर लोक सूचना अधिकारी एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा से सूचना चाही गयी थी, किन्तु निर्धारित समय सीमा व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 01/11/2017 की प्रति अपील मेमो के साथ प्रस्तुत की गई। परन्तु स्थानान्तरण के आधार पर लोक सूचना अधिकारी एवं उपश्रम आयुक्त, भीलवाड़ा को पक्षकार बनाते हुए अपील दर्ज की गई।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 10/01/2018 को पंजीबद्ध किया जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किया गया। तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपश्रम आयुक्त, श्रम विभाग, भीलवाड़ा से तथ्यात्मक प्रतिवेदन चाहा गया। प्रत्यर्थी ने अपने पत्रांक/सू0अ0/2828 दिनांक 19.01.2018 से तथ्यात्मक प्रतिवेदन भिजवाते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी के आवेदन में अंकित सूचना इस विभाग से सम्बन्धित नहीं होकर उप निदेशक ,सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग भीलवाड़ा एवं सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, भीलवाड़ा से सम्बन्धित होने से सूचना उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया परन्तु उनके द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। इस सम्बन्ध में श्रम विभाग से जारी परिपत्र एफ. 1(8)(1)असंगठित श्रमिक/आई.आर./श्रम/2011–पार्ट–II/5656 दिनांक 13.04.2015 में स्पष्ट किया कि श्रम विभाग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से डेटा बेस का समुचित प्रबंधन कर जिला कलक्टर्स को श्रमिक या असंगठित श्रमिक जैसी भी स्थिति हो, का डेटा प्रेषित किया जायेगा। तत्पश्चात एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर(उपनिदेशक) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, भीलवाड़ा ने अपने पत्रांक/डीओआईटी/आरटीआई/2018/41 दिनांक 30.01.2018 से पत्र सीधे ही अपीलार्थी को प्रेषित करते हुए उपश्रम आयुक्त, जयपुर को वांछित सूचना सम्बन्धित अपीलार्थी को सीधे ही राज्य स्तर के श्रम विभाग, से उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित किया ।

प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत तथ्यात्मक प्रतिवेदन व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया ।

प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपश्रम आयुक्त, श्रम विभाग, भीलवाड़ा एवं एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर(उपनिदेशक) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, भीलवाड़ा के पत्रांक 41 दिनांक 30.01.2018 के द्वारा अपीलार्थी को एवं श्रम विभाग को सूचित किया जा चुका है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना राज्य स्तर पर ही संधारित होने से इस कार्यालय स्तर से सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है। तथा उपश्रम आयुक्त, जयपुर को पत्र भिजवाते हुए अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध कराते हुए सूचना की एक प्रति एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर(उपनिदेशक) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, भीलवाड़ा द्वारा भी चाही गई। इस प्रकार अपील सारहीन प्रतीत होती है।

अतएव उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अपीलार्थी व प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपश्रम आयुक्त,भीलवाड़ा को सूचनार्थ भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 12/02/2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मुक्तानंद अग्रवाल)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा